



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-9

आर.वी.ई. सं.- 05/2021

पत्र सं. का/254/2/भाग-23/चार

(File No: NER-HQ0PERS(POLI)/11/2021-O/o SPO/HQ/HQ/NER Computer No: 47339)

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

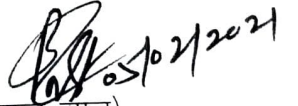
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

दिनांक 05-02-2021

विषय :- Eligibility Criteria for selection to the post of Chief Law Assistant in
Level-7

रेलवे बोर्ड का पत्र No. E(NG)I/2020/PM1/8 Dated 15-01-2021 की प्रतिलिपि
सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
संलग्नक/यथोपरि


(बसन्त लाल)

वकाधि/आर.पी.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एसोसियेशन/गोरखपुर ।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक



कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक), पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर -273012
Office of the General Manager (P), N. E. Railway Gorakhpur-273012

क्रमांक-9

आर बी ई. सं.- 05/2021

पत्र सं. का/254/2/भाग-23/चार

File No: NER-HQ0PERS(POL)/11/2021-O/o SPO/HQ/HQ/NER Computer No: 47339)

दिनांक 05-02-2021

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

विषय :- Eligibility Criteria for selection to the post of Chief Law Assistant in Level-7

रेलवे बोर्ड का पत्र No. E(NG)I/2020/PM1/8 Dated 15-01-2021 की प्रतिलिपि सूचना, मार्ग दर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(बसन्त लाल)

वकाधि/आर.पी.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) महामंत्री/एन.ई. रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर ।
- 2) महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर ।
- 3) पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर ।
- 4) महामंत्री/एस.सी./एस.टी. एवं ओबीसी एसोसियेशन/गोरखपुर ।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

RB N. 05/2021

141

No.E(NG)1/2020/PM 1/8

New Delhi, dated January 15, 2021

The General Managers (P),
All Zonal Railways.
(as per standard mailing list)

Sub: **Eligibility criteria for selection to the post of Chief Law Assistant in Level-7.**

Attention is invited to para 131 of IREM Volume-I, elaborating the procedure of filling up the post of Law Assistant (LA). It inter-alia provides that 60% of the posts should be filled up by promotion on the basis of selection of serving employees in grades lower than the grade of Rs.6500-10500, having 5 years regular service in Group 'C', and possessing a Degree in Law, irrespective of the department in which the employee maybe working.

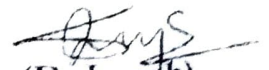
2. It has come to the notice of the Board that there is no uniformity in the procedure being followed by the Railways with regard to eligibility criteria for filling up the posts of Chief Law Assistant in Grade Pay Rs.4600 (Level-7).

3. The matter has been considered carefully by the Board and it has been decided that the 60% promotion quota should be filled on the basis of selection of serving employees in Level-2 to Level-6, irrespective of the Departments in which they may be working, having 5 years regular service and possessing a Degree in Law.

4. Para 131(2)(iii) of the Indian Railway Establishment Manual, Volume-1, stands amended accordingly as per ACS No. 273 enclosed herewith.

Hindi version will follow. Please acknowledge receipt.

DA: ACS No. 273.


(D. Joseph)

Joint Director/Estt.(N)
Railway Board

INDIAN RAILWAYS ESTABLISHMENT MANUAL, VOLUME-1

(1989 EDITION)

ADVANCE CORRECTION SLIP NO. 273

Chapter-1, Section-B, Sub Section-III (Recruitment and Training) – Rules governing the filling up posts in the category of Law Assistant.

1. Amend the sub-para 2(iii) of Para No.131:

“The remaining 60% posts should be filled by promotion, on the basis of selection, from among serving employees in Level-2 to Level-6, having 5 years regular service and possessing a Degree in Law, irrespective of the Departments in which they may be working. The shortfall against promotion quota, if any, will be filled by Direct Recruitment.”

[Authority: Railway Board's letter No.E(NG)I/2020/PM 1/8 dated 15.01.2021]

भारत सरकार/(Government of India)

रेल मंत्रालय/(Ministry of Railways)

रेलवे बोर्ड/(Railway Board)

आरबी सं. 05/2021

नई दिल्ली, दिनांक 15 जनवरी, 2021

सं. ई(एनजी)/2020/पीएम 1/8

महाप्रबंधक (पी).

सभी क्षेत्रीय रेलें.

(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय : स्तर-7 में मुख्य विधि सहायक के पद पर चयन के लिए पात्रता मानदंड ।

आपका ध्यान भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1 के पैरा 131 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें विधि सहायक का पद भरे जाने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इसमें यह भी बताया गया है कि 6500-10500 रुपए के ग्रेड से निम्नतर ग्रेड में सेवारत कर्मचारी, जिन्होंने समूह 'ग' में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास विधि में डिग्री हो, के 60% पद चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने चाहिए, चाहे वे किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हों।

2. बोर्ड के संज्ञान में यह आया है कि रेलों द्वारा 4600/- रु. ग्रेड पे (स्तर-7) में मुख्य विधि सहायक के पदों को भरने के लिए पात्रता मानदंड के संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया में एकरूपता नहीं है।

3. इस मामले पर बोर्ड द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया कि स्तर-2 से स्तर-6 में सेवारत कर्मचारियों, जो 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं और जिनके पास विधि में डिग्री हो, का 60% पदोन्नति कोटा चयन के आधार पर भरा जाना चाहिए, चाहे वे किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हों।

4. भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-1 का पैरा 131(2)(iii) इसके साथ संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 273 के अनुसार संशोधित किया जाता है।

कृपया पावती दें।

संलग्न : पर्ची सं. 273

डी. जोसेफ
(डी. जोसेफ)

संयुक्त निदेशक/स्थापना(अ)
रेलवे बोर्ड

22/1/21

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, जिल्द-I
(1989 संस्करण)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 273

अध्याय-1, खंड-ख, उप खंड-III (भर्ती और प्रशिक्षण) - विधि सहायक की कोटि में पदों को भरभरने के लिए शासित करने वाले नियम ।

1. पैरा सं. 131 के उप-पैरा 2(iii) को संशोधित करें :

“स्तर-2 से स्तर-6 में सेवारत कर्मचारियों जिन्होंने 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिनके पास विधि में डिग्री हो, में से शेष 60% पद पदोन्नति के आधार पर भरे जाने चाहिए, चाहे वे किसी भी विभाग में कार्य कर रहे हों। पदोन्नति कोटा में यदि कोई कमी आती है तो उसे सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा ।”

[प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 15.01.2021 का पत्र सं. ई(एनजी)/2020/पीएम 1/8]